

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दाबा / 107 / 2012

तारीख रजु 22.06.2012

उनवान

1. केशरबाई पुत्री फैली पत्नी मटरूआ जाति माली निवासी भुकरावली तह0 हिण्डौन हाल सीलोती काछीपुरा तह0 करौली जि0 करौली  
-----वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र फैली वगै0 जाति माली निवासी भुकरावली तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण 10

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 17.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दावा ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 1237, 1245, 1283 मिन 1632, 961, 1634, 976, 1665, 987 मिन 1666, 987 मिन 1701 946 मि. 1723, 926, 1808, 1285 मि 1809, 1289, 1810, 1272, 2013, 1032, 2014, 1032 मि. 2015 में तकास्मा आराजी, घोषणा खातेदारी, हुक्म इम्तनाई दवामी का दावा पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वादी वकील को तलवी पेश करने हेतु कई बार अवसर दिये गये पत्रावली आज दिनांक 17.12.2019 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 107/2012 केशरबाई बनाम किशनलाल वगै0 अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(सुरेश कुमार यादव )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी जिला करौली

